

**न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
(समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)**

व्यवहार वाद क.59 ए/2015

संस्थापित दिनांक 23/01/2015

फाईलिंग नम्बर 230303001582015

- 1 मु0 धनवंती वेवा पत्नी शंकर सिंह,
आयु 55 वर्ष, जाति—काछी, नि0 तूरी
का पुरा, पिपरसाना, पर0—गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

..... वादी

बनाम

1. सुनीता वेवा पत्नी अशोक आयु 28 वर्ष
वर्तमान पति अक्षुआ, जाति—काछी कुशवाह
नि0 तूरीकापुरा पिपरसाना, तह0—गोहद,
जिला—भिण्ड, हाल नि0 गुमानपरा, तह—सेवड़ा,
जिला—दतिया म.प्र.
2. रजनी ना.वा. पुत्री अशोक आयु 10 वर्ष
सरपरस्त खुर्द माँ सुनीता, जाति— कुशवाह
नि0 तूरीकापुरा पिपरसाना, तह0—गोहद,
जिला—भिण्ड, हाल नि0 गुमानपरा, तह—सेवड़ा,
जिला—दतिया म.प्र.
3. मचल सिंह आयु 42 वर्ष पुत्र शंकर सिंह
नि0 तूरीकापुरा पिपरसाना, तह0—गोहद,
जिला—भिण्ड म.प्र.
4. बंटी उर्फ बदरी आयु 25 वर्ष, पुत्र शंकर सिंह,
नि0 तूरीकापुरा पिपरसाना, तह0—गोहद,
जिला—भिण्ड म.प्र.
5. म0प्र0शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय भिण्ड
..... प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अधि0श्री आर0एस0कुशवाह ।
प्रतिवादी क01 व 02 द्वारा अधि0श्री के0पी0राठौर ।
प्रतिवादी क 03 व 04 द्वारा अधि0 श्री एम0एस0यादव ।
प्रतिवादी क. 5 पूर्व से एकपक्षीय

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 19 /12/2016 को घोषित किया)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादी क्र. 1 व 2 के विरुद्ध ग्राम पिपरसाना परगना गोहद में स्थित भूमि सर्वे क्र. 4821 रकबा 0.46, 4822 रकबा 0.39, 4844/3 रकबा 0.04, 4845/2 रकबा 0.12, 4874/2 रकबा 0.53, 4952 रकबा 0.69, 5041/2 रकबा 0.08, 5055/1 रकबा 0.57, 4825 रकबा 0.68 कुल रकबा 3.56 हेक्टेयर में से अपने मृत पुत्र अशोक के हिस्से की 1/4 भाग की भूमि पर स्वत्व समाप्ति की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि भूमि सर्वे क्र. 4821 रकबा 0.46, 4822 रकबा 0.39, 4844/3 रकबा 0.04, 4845/2 रकबा 0.12, 4874/2 रकबा 0.53, 4952 रकबा 0.69, 5041/2 रकबा 0.08, 5055/1 रकबा 0.57, 4825 रकबा 0.68 कुल रकबा 3.56 हेक्टेयर मौजा पिपरसाना तहसील गोहद में स्थित है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। उक्त भूमि वादी के पति एवं प्रतिवादी क्र. 3 व 4 के पिता तथा प्रतिवादी क्र. 1 के ससुर एवं प्रतिवादी क्र. 2 के पितामह मृतक शंकरसिंह के नाम राजस्व पटवारी कागजात में अंकित थी। वादी के पुत्र अशोक की मृत्यु वादी के पति शंकरसिंह की मृत्यु के पूर्व हो गयी थी। प्रतिवादी क्र. 1 मृतक अशोक की पत्नी है एवं प्रतिवादी क्र. 2 मृतक अशोक की पुत्री है एवं प्रस्तुत वाद में ऊपर वर्णित भूमियों में से वादी के पुत्र मृतक अशोक की पत्नी प्रतिवादी क्र. 1 एवं पुत्री प्रतिवादी क्र. 2 के हिस्से का विवाद है, जिसे आगे वादग्रस्त सम्पत्ति कहा जायेगा। वादिया के पति शंकर सिंह की मृत्यु पश्चात् वादिया एवं प्रतिवादी गण का राजस्व एवं पटवारी कागजात में नामांतरण हो गया था तथा मौके पर वादिया एवं प्रतिवादीगण की शामिल शरीख खेती हो रही है। वादिया के पुत्र मृतक अशोक की पत्नी प्रतिवादी क्र. 1 ने वादग्रस्त भूमि पर अपना नामांतरण होने के पश्चात् अछुआ पुत्र ज्ञानसिंह कुशवाह से दिसम्बर 2014 में धरीचा (पुनर्विवाह) कर लिया था एवं प्रतिवादी क्र. 1, प्रतिवादी क्र. 2 के साथ ग्राम गुमान पुरा जिला दतिया में निवास करने लगी है। प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा अछुआ से पुनर्विवाह कर लेने के बाद वादग्रस्त भूमि में उसके हित स्वतः समाप्त हो गये थे तथा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी क्र. 1 व 2 का कोई हित शेष नहीं बचा था। वादिया ने प्रतिवादी क्र. 1 से उसके नाम इन्द्राज हिस्सा वादिया को वापस करने को कहा था तो प्रतिवादी क्र. 1 ने हिस्सा वापस नहीं किया था तथा वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र विक्रय करने की धमकी दी थी। प्रतिवादी क्र. 1 को वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी क्र. 1 अपना स्वयं का भाग एवं प्रतिवादी क्र. 2 अव्यस्क का हिस्सा अन्यत्र विक्रय करने के लिए प्रयासरत है। यदि प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर दिया गया तो वादिया अपने हित से वंचित हो जायेगी। अतः वाद प्रस्तुत कर वादिया का निवेदन है कि यह घोषित किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा पुनर्विवाह कर लेने से तथा प्रतिवादी क्र. 2 के प्रतिवादी क्र. 1 के साथ निवास करने से प्रतिवादीगण के हित स्वतः समाप्त हो गये हैं तथा प्रतिवादीगण को स्थाई रूप से निषेधित किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि का अंतरण न करें।

3. प्रतिवादी क्र. 1 एवं 2 द्वारा वाद का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क्र. 1 के पति अशोक की मृत्यु हो जाने के पश्चात् प्रतिवादी क्र. 1 का पुनर्विवाह सामाजिक परम्पना के अनुसार प्रतिवादी क्र. 4 बन्ती उर्फ बेदरी के साथ हो गया था एवं प्रतिवादी क्र. 4 के साथ रहने के दौरान उसके पुत्री अंजली का जन्म हुआ था, जिसे वादिया द्वारा छिपाया गया है जो प्रकरण की महत्वपूर्ण पक्षकार है। प्रतिवादी क्र. 4 बन्ती के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर बन्ती एवं प्रतिवादी क्र. 1 की पुत्री अंजली प्रतिवादी क्र. 1 की सरपरस्ती में काबिज होकर कृषि कार्य कर रही है। प्रतिवादी क्र. 1 का विवाह वादिया के पुत्र अशोक के साथ हुआ था एवं अशोक से प्रतिवादी क्र. 1 को रजनी का जन्म हुआ था रजनी के जन्म के पश्चात् अशोक का देहांत हो गया था, इसके बाद कुछ समय पश्चात् वादिया ने सामाजिक परम्पराओं के अनुसार प्रतिवादी क्र. 1 का पुनर्विवाह प्रतिवादी क्र. 4 से करा दिया था। प्रतिवादी क्र. 4 से प्रतिवादी क्र. 1 को पुत्री अंजली उत्पन्न हुई थी। कुछ समय पश्चात् प्रतिवादी क्र. 4 प्रतिवादी क्र. 1 एवं प्रतिवादी क्र. 2 तथा अंजली को छोड़कर चला गया था, जिसका कोई पता नहीं है तत्पश्चात् प्रतिवादी क्र. 1 बेसहारा हो गयी है। प्रतिवादी क्र. 1 का नामांतरण मृतक शंकर से मिलने वाली जायदाद पर विधि अनुसार हुआ है। वादिया द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः निरस्ती योग्य है।

4. प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 3 एवं 4 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 5 के तामील उपरांत अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या वादिया मौजा पिपरसाना परगना गोहदन में स्थित भूमि सर्वे क्र. 4821 रकबा 0.46, 4822 रकबा 0.39, 4844/3 रकबा 0.04, 4845/2 रकबा 0.12, 4874/2 रकबा 0.53, 4952 रकबा 0.69, 5041/2 रकबा 0.08, 5055/1 रकबा 0.57, 4825 रकबा 0.68 कुल रकबा 3.56 हेक्टेयर में अपने मृत पुत्र अशोक के हिस्से की 1/4 भाग की भूमि प्रतिवादी क्र. 1 सुनीता से वापिस पाने की अधिकारी है? नहीं।
2. क्या प्रतिवादी क्र. द्वारा पुनर्विवाह कर लेने से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्र. 1 एवं प्रतिवादी क्र. 2 के स्वत्व समाप्त हो चुके हैं? नहीं
3. क्या वादिया स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने की अधि-कारिणी है? नहीं
4. क्या प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है? नहीं
5. क्या प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रचलन योग्य है? हाँ
6. सहायता एवं व्यय ? वाद निरस्त किया गया

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
वाद प्रश्न कमांक-1 एवं 2

5. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6. उक्त वादप्रश्नों के संबंध में वादिया धनवंती वा.सा. 1 ने अपने वादपत्र एवं शपथ पत्र में यह अभिवचनित किया है कि वादग्रस्त भूमि मौजा पिपरसाना परगना गोहद में स्थित है। उक्त भूमि उसकी एवं मचल सिंह, बन्टी, सुनीता एवं रजनी की पैत्रक सम्पत्ति है। उक्त वादग्रस्त भूमि उसके पति तथा प्रतिवादी सुनीता के ससुर एवं प्रतिवादी रजनी के पितामह तथा मचलसिंह एवं बन्टी के पिता शंकर सिंह के नाम से पटवारी एवं राजस्व कागजातों में अंकित थी, उसके पुत्र अशोक की मृत्यु उसके पति की मृत्यु के पहले हो गयी थी। प्रतिवादी क. 1 सुनीता उसके लड़के अशोक की पत्नी है। प्रतिवादी क. 2 रजनी उसके मृत पुत्र अशोक की पुत्री है, उसके पति की मौत के पश्चात् अशोक के स्थान पर प्रतिवादी सुनीता एवं रजनी के नाम का नामांतरण राजस्व कागजात में हो गया था। नामांतरण होने के पश्चात् प्रतिवादी क. 1 सुनीता ने अछुआ पुत्र ज्ञान सिंह से सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार धरीचा (पुनर्विवाह) कर लिया था। विवाह संबंधी लिखा-पढ़ी नारायण यादव अभिभाषक सेवदा के यहां कराई गयी थी। धरीचा करने के बाद प्रतिवादी सुनीता के वादग्रस्त भूमि में हित समाप्त हो गये हैं एवं सुनीता तथा रजनी के नाम वाली भूमि पर उसका नाम होना चाहिए था, उसने सुनीता से वादग्रस्त भूमि उसके नाम कराने के लिए कहा था तथा सुनीता ने वादग्रस्त भूमि बेचने की धमकी दी थी। वादिया द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में पंचनामा दिनांक 17.12.14 प्रदर्श पी 3 एवं संवत् 2065 लगायत 2068 का खसरा प्रदर्श पी 4 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया।

7. प्रतिपरीक्षण के पद क. 6 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात् सुनीता एवं सुनीता की पुत्री का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में हो गया है एवं यह भी स्वीकार किया है कि नामांतरण अनुसार सभी लोग अपने-अपने हिस्से पर खेती करते हैं, उसके 2 नातिनी हैं। दोनों नातिनी सुनीता के पास रहती हैं। दोनों नातिन उसके लड़के से उत्पन्न हैं, उसके बड़े लड़के अशोक की मृत्यु हो जाने के पश्चात् सुनीता का पुनर्विवाह बन्टी के साथ कर दिया गया था एवं सुनीता को दूसरी लड़की बन्टी से उत्पन्न हुई थी। प्रदर्श पी 3 का पंचनामा कहां और कितने साल पहले लिखा था उसे पता नहीं है। पुलिस वालों ने लिखा होगा।

8. वादी साक्षी धनीराम वा.सा. 2 एवं बैजनाथ वा.सा. 3 ने भी वादिया के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।

9. प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

10. तर्क के दौरान वादिया अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क. 1 सुनीता ने अछुआ से पुनर्विवाह कर लिया है इस कारण पूर्व मृत पति अशोक की भूमि पर प्रतिवादी क. 1 एवं 2 का कोई स्वत्व शेष नहीं रहा है जबकि प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क. 1 व 2 मृतक अशोक की पत्नी एवं पुत्री होकर वादग्रस्त भूमि के स्वत्वधारी हैं।

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादिया धनवंती वा.सा. 1 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उसके पति मृतक शंकर के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि थी उसके 3 पुत्र मचल सिंह, बन्टी तथा अशोक थे। अशोक की मृत्यु हो चुकी है एवं प्रतिवादी क. 1 उसके मृत पुत्र अशोक की पत्नी तथा प्रतिवादी क. 2 अशोक की पुत्री है। वादिया द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि उसके पति शंकर के जीवनकाल में ही अशोक की मृत्यु हो गयी थी एवं शंकर की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त भूमि पर मृतक शंकर के सभी बारिसानों का नामांतरण हुआ था तथा उसके मृत पुत्र अशोक के हिस्से की भूमि पर अशोक की पत्नी प्रतिवादी क. 1 सुनीता व अशोक की पुत्री प्रतिवादी क. 2 रजनी का नामांतरण हुआ था। प्रतिवादी क. 1 द्वारा नामांतरण होने के पश्चात् अछुआ से पुनर्विवाह कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क. 1 एवं 2 का वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व नहीं बचा है। प्रतिवादी क. 1 एवं 2 द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, परंतु प्रतिवादी क. 1 एवं 2 द्वारा अपने जवाबदावे में उक्त तथ्यों का खण्डन किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क. 1 एवं 2 वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर रही है। वादी धनवंती वा.सा. 1 द्वारा प्रकरण में सम्वत 2065 लगायत 2068 का खसरा प्रदर्श पी 4 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है जिससे यह दर्शित है कि शंकर की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त भूमि पर शंकर के बारिसानों के रूप में प्रतिवादी क. 1 सुनीता एवं प्रतिवादी क. 2 रजनी का भी वादग्रस्त भूमि पर नामांतरण हुआ था।

12. इस प्रकार वादिया धनवंती वा.सा. 1 द्वारा स्वयं यह अभिवचनित किया गया है कि उसके पति शंकर की मृत्यु उपरांत उसके मृत पुत्र अशोक की हिस्से पर अशोक की पत्नी प्रतिवादी क. 1 एवं अशोक की पुत्री प्रतिवादी क. 2 का नामांतरण हुआ था तथा यह अभिवचनित किया गया है कि राजस्व पटवारी कागजात में वादी एवं प्रतिवादीगण का नामांतरण होने के बाद वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण शामिल शरीख खेती कर रहे हैं। वादिया धनवंती वा.सा. 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी यह स्वीकार किया है कि उसके पुत्र अशोक की मृत्यु हो जाने के कारण अशोक की पत्नी सुनीता एवं सुनीता की पुत्री का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में हो गया था तथा यह भी स्वीकार किया है कि नामांतरण अनुसार सभी लोग अपने-अपने हिस्से पर खेती कर रहे हैं। इस प्रकार वादिया के कथन एवं प्रदर्श पी 4 के खसरे से यह स्पष्ट है कि शंकर की मृत्यु उपरांत शंकर के बारिसानों का वादग्रस्त भूमि पर नामांतरण हो गया था एवं मृतक अशोक के हिस्से की भूमि प्रतिवादी क. 1 सुनीता एवं प्रतिवादी क. 2 रजनी को प्राप्त हुई थी तथा प्रतिवादी क. 1 सुनीता मृतक अशोक के हिस्से की वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रही है।

13. वादी धनवंती वा.सा. 1 द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादी क. 1 ने वादग्रस्त भूमि पर नामांतरण होने के बाद अछुआ से पुनर्विवाह कर लिया है। इसलिए प्रतिवादी क. 1 एवं 2 का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक नहीं बचा है। वादी धनवंती वा.सा. 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क. 1 ने वादग्रस्त भूमि प्राप्त होने के पश्चात् पुनर्विवाह किया था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के खण्ड 1 के अनुसार " हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गयी हो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जायेगी"। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यदि हिन्दू स्त्री के द्वारा कोई सम्पत्ति अर्जित की गयी हो तो वह उस सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि प्रतिवादी क. 1 को मृतक अशोक के बारिसानों की हैसियत से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी अतः पुनर्विवाह कर लेने की स्थिति में भी पूर्व मृत पति की सम्पत्ति में पत्नी का हक उससे छीना नहीं जा सकता है। पति की मृत्यु के पश्चात् विधवा को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 10 के तहत मृत पति का हिस्सा प्राप्त होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि प्रतिवादी क. 1 एवं 2 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। प्रतिवादी क. 1 मृतक अशोक की पत्नी एवं प्रतिवादी क. 2 मृतक अशोक की पुत्री होकर मृतक अशोक की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत अनुसूची में वर्ग 1 की वारिस है एवं यह भी उल्लेखनीय है कि अशोक की मृत्यु उसके पिता शंकर की मृत्यु के पूर्व ही हो चुकी है एवं शंकर की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क. 1 एवं 2 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 10 के नियम 4 के खण्ड 1 के अंतर्गत उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के खण्ड 1 के अनुसार प्रतिवादी क. 1 उक्त सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी। जहां तक प्रतिवादी क. 1 द्वारा पुनर्विवाह कर लेने का प्रश्न है तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभावशील होने के पश्चात् यदि कोई हिन्दू विधवा पुनर्विवाह कर लेती है तो भी वह अपने पूर्व मृत पति की सम्पत्ति से वंचित नहीं होगी क्योंकि विधवा पूर्ण स्वामित्व में सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करती है। वह सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी होती है इस संबंध में न्याय दृष्टांत ए.आई.आर. 1960 एम.पी. 156 उल्लेखनीय है।

14. इस प्रकार समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि वादी धनवंती वा.सा. 1 ने स्वयं वादग्रस्त भूमि पर अपने मृत पुत्र अशोक के हिस्से की वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क. 1 एवं 2 का नामांतरण होना तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क. 1 द्वारा कृषि कार्य करना बताया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क. 1 को पति की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। इसलिए वह वादग्रस्त सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी एवं यदि सम्पत्ति प्राप्त होने के पश्चात् प्रतिवादी क. 1 द्वारा पुनर्विवाह कर लिया गया है तो वह अपने पूर्व मृत पति की सम्पत्ति से वंचित नहीं की जा सकती है एवं प्रतिवादी क. 1 द्वारा पुनर्विवाह कर लेने से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क. 1 एवं प्रतिवादी क. 2 के स्वत्व समाप्त नहीं हो जाते हैं। अतः वादिया प्रतिवादी क. 1 से मृतक पुत्र अशोक के हिस्से की 1/4 भाग की भूमि वापस पाने की अधिकारी नहीं है। फलतः उक्त दोनों वादप्रश्न वादिया के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न कमांक-3

15. उक्त वाद प्रश्न का निष्कर्ष वादप्रश्न क्र. 1 एवं 2 के निष्कर्ष पर आधारित है। वादप्रश्न क्र. 1 एवं 2 के निष्कर्ष अनुसार प्रतिवादी क्र. 1 वादिया के मृत पुत्र अशोक की पत्नी एवं प्रतिवादी क्र. 2 वादिया के मृत पुत्र अशोक की पुत्री है एवं वादिया के पति शंकर सिंह की मृत्यु उपरांत शंकरसिंह के बारिसानों की हैसियत से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत मृतक अशोक के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी क्र. 1 एवं 2 का नामांतरण हुआ था। वादिया धनवंती वा.सा. 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के अनुसार यह भी स्वीकार किया है कि नामांतरण के अनुसार सभी लोग अपने-अपने हिस्से पर खेती कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर अवैध हस्तक्षेप कर रहे हैं। अतः वादिया स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न भी वादिया के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न कमांक-4

16. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादी क्र. 1 एवं 2 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादिया ने प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 4 बन्टी की पुत्री अंजली को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः प्रस्तुत वाद संचालन योग्य नहीं है जबकि वादिया द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में असंयोजन का दोष नहीं है।

17. प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 1 एवं 2 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि प्रकरण में वादी ने प्रतिवादी क्र. 4 बन्टी की पुत्री अंजली को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः प्रकरण में असंयोजन का दोष है, परंतु प्रतिवादीगण का यह अभिवचन स्वीकार योग्य नहीं है। वादी द्वारा यह वाद मूल रूप से प्रतिवादी क्र. 1 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है एवं वादिया द्वारा प्रतिवादी क्र. 1 से मृतक अशोक के हिस्से की भूमि वापस पाने की सहायता चाही गयी है। अंजली प्रतिवादी क्र. 4 बन्टी की पुत्री है एवं वादिया द्वारा अंजली के विरुद्ध अनुतोष नहीं चाहा गया है। ऐसी स्थिति में अंजली प्रकरण की आवश्यक पक्षकार नहीं है एवं अंजली को पक्षकार न बनाये जाने से प्रकरण में असंयोजन का दोष नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

वाद प्रश्न कमांक-5

18. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी ने प्रकरण में कब्जा वापसी की सहायता नहीं चाही है। अतः प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत संचालन योग्य नहीं है।

19. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादी क्र. 1 के विरुद्ध उसके मृत पुत्र अशोक की हिस्से की भूमि वापस पाने हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं वादिया द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि शंकर सिंह की मृत्यु पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर वादिया एवं प्रतिवादीगण का नामांतरण हो गया था तथा मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण की शामिलाली खेती हो रही है। इस प्रकार वादिया द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त आधिपत्य है एवं उसकी शामिलाली खेती हो रही है। प्रदर्श पी 4 के खसरे से भी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्र. 1 एवं 2 का वादग्रस्त भूमि पर पृथक आधिपत्य होना दर्शित नहीं है, चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादिया एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त आधिपत्य है। ऐसी स्थिति में वादिया को पृथक से कब्जा वापसी की सहायता मांगना आवश्यक नहीं था। अतः प्रस्तुत वाद कब्जा वापसी की सहायता न चाहे जाने के कारण अप्रचलनशील नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

सहायता एवं व्यय

20. समग्र अवलोकन से वादिया अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रही है। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

21. वाद का सम्पूर्ण व्यय वादिया द्वारा वहन किया जायेगा।

22. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हों देय होगा।

तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 19/12/16

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रति
कीय / विधिक उपयोग हेतु

9

व्यवहार वाद कमांक 59 ए/2015

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
कीय / विधिक उपयोग हेतु अम